

जोतों के उपविभाजन तथा अपखण्डन के कारण - (1)
B.M. Box 2
Kaper 113d

(Causes of sub-division and fragmentation of holdings)

भारत में जोतों के उपविभाजन तथा अपखण्डन के बहुत से कारण हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं -

15/7/20

(i) जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि (Excessive Growth of Population) सर्वप्रथम, तो जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण जोतों का उपविभाजन निरन्तर बढ़ते ही जा रहा है और अब तो यह 102 करोड़ की संख्या की भी पार कर गया है। जबकि देश में पर्याप्त कृषि-योग्य भूमि उपलब्ध थी, तब तक परिवार के अतिरिक्त सदस्यों का प्रकथ भूमि के उपविभाजन किए वगैरे ही सम्भव था। लेकिन आज भारत में जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस गति से कृषि-योग्य भूमि नहीं बढ़ती। पिछले 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में प्रायः 22% की वृद्धि हुई है, लेकिन भूमि की मात्रा तो प्रायः निश्चित ही है। साथ ही, भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। ऐसी स्थिति में भूमि के ऊपर जनसंख्या का दबाव निरन्तर बढ़ते ही जा रहा है जिसके फलस्वरूप जोतों का उपविभाजन एवं अपखण्डन भी बढ़ते ही जा रहा है। वास्तव में, उपविभाजन जनसंख्या में वृद्धि के कारण जोतों का आकार निरन्तर छोटा होते जा रहा है।

(ii) उत्तराधिकारी तथा पैतृक-सम्पत्ति सम्बन्धी कानून (Law of Inheritance) भारत में उत्तराधिकार के नियम भी उपविभाजन तथा अपखण्डन के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी हैं। यहाँ हिन्दू परिवार में प्रत्येक पुत्र का पिता के जीवनकाल में ही परिवार की सम्पत्ति पर समान अधिकार हो जाता है। हिन्दू-कोड में परिवर्तन के अनुसार अब तो पिता की सम्पत्तिके पुत्र के साथ-साथ पुत्रियों को भी हिस्सा मिलता है। विभाजन के समय प्रत्येक उत्तराधिकारी हर प्रकार की भूमि का एक-एक अंश पाता है जिससे उपविभाजन के साथ-साथ अपखण्डन भी बढ़ते जा रहा है। इंग्लैंड में

लो ऑफ प्रीमीजीनेचर के अनुसार भू-सम्पत्ति में केवल बड़े लड़के को हिस्सा मिलता है। पर इस प्रकार हमारे देश की व्यवस्था हमारे देश में नहीं है।

(iii) गृह उद्योग-घंटों का हास (Decline of cottage industries)- भारत 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के संमध्य तक अपनी गृह-उद्योगों के लिए ब्य विख्यात था; लेकिन इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीनों द्वारा बनी हुई वस्तुओं की स्पर्धा से इन उद्योगों का हास हो गया जिससे कारीगरों के समस्त कृषि के अतिरिक्त कोई दूसरा पेशा ही नहीं रह गया। कृषि ही देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन रह गयी। इसके फलस्वरूप भूमि पर आश्रित की संख्या में वृद्धि हो गयी और कृषि एवं उद्योगों के बीच सन्तुलन प्रायः समाप्त हो गया।

(iv) किसानों की ऋणग्रस्तता (Rural indebtedness) - किसान बीज, औजार, बरतें मवेशी आदि खरीदने तथा शादी, शादू के लिए बहुरा अपनी भूमि को अन्यक खरकर महाजनों से कर्ज लेते हैं। लेकिन कर्ज को निर्धारित समय पर अदा नहीं करने के कारण इन्हें बाध्य होकर अपनी भूमि महाजनों के हाथ बँचना पड़ता है। इससे भी भूमि के उपविभाजन में सहायता मिलती है। अतः किसानों की ऋणग्रस्तता भी जातों के उपविभाजन तथा अपखण्डन का एक प्रमुख कारण है।

(v) संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था का विनाश तथा व्यक्तिवाद भावना का प्रसार (Breakdown of the joint system and Growth of the spirit of individualism) - प्राचीन काल में हमारे देश में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी जिसमें कृषि कार्य सम्मिलित रूप से होता है था। इससे जातों का उपविभाजन बहुत कम होता था। लेकिन, आज व्यक्तिवाद भावना के विकास के फलस्वरूप लोग पृथक-पृथक रहना अधिक पसन्द करते हैं। इससे जातों का उपविभाजन निरन्तर बढ़ते ही जा रहा है। इस प्रकार, संयुक्त परिवार की प्रथा विनाश व्यक्तिवाद भावना के प्रसार के फलस्वरूप भी उपविभाजन तथा अपखण्डन

अधिक्राधिक होने लगा है। वास्तव में, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से यह परिवर्तन उपविभाजन एवं अपखण्डन का सार्वधिक प्रमुख कारण है।

(vi) भू-सम्पत्ति से विशेष प्रेम (Too much attachment to landed property) - साधारणतया भारतीय भू-सम्पत्ति से विशेष प्रेम दिखाते हैं। भारत में भूमि को प्रतिष्ठा, सम्मान एवं सम्पन्नता का साधन समझा जाता है। 'उत्तम कृषि मध्यम षण' की कहावत आज भी किसानों के बीच प्रचलित है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी पैतृक भू-सम्पत्ति से चिपका रहता है तथा शयाशक्ति उसे अपने हाथ से निकलने नहीं देता है।